(ii) Assistance under the Centrally Sponsored Scheme 'Conservation of rhinos in Assam' have been provided for strengthening measures in the Kaziranga National Park against poaching, floods, fires and encroachment and for acquisition of land to expand its area. Under this scheme, additional protection squads, equipped with arms, wireless sets, vehicles, boats, etc., have been created. This scheme covers all the natural habitats of the rhino in Assam. The scheme along with budgetary provision has now been transferred to the State Government of Assam.

(iii) The rhino is included in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972, thus giving the species maximum possible legal protection. Under this Act, there is a complete ban on hunting of this animal.

(iv) India is a member of the Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES), under which international trade in rhino and its products is prohibited.

(v) A number of zoos in India have been successfully breeding the Indian rhino.

(vi) With a view to provide an alternate home for the rhinos, a number of them were translocated from Assam and Nepal to the Dudhwa National Park in Uttar Pradesh. The project has proved to be successful.

पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

231. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु केन्द्र के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र से अब तक कुल 33 सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त हुई हैं जिनमें से 12 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी जा चुकी है और 20 परियोजनाओं को अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण नामंजूर कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केवल एक सिंचाई स्कीम अर्थात् ऊपरी वर्धा परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए शेष बची है क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों से संशोधित पर्यावरणीय प्रबंध योजनाएं अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही परियोजना प्राधिकारी योजनाएं प्रस्तुत कर देंगे, इस परियोजना के संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

दुधना नदी में पानी के रंग का हरा हो जाना

232. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के परभणी और जालना ज़िलों में दुधना नदी के पानी का रंग हरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नदियों में बढ़ते जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार तेज वर्षा के कारण कृषि बहाव जिनमें उर्वरक अवशेष होते है, नदी में प्रवेश कर गए। इससे शैवाल पैदा हो गई

जिससे नदी का पानी हरा हो गया।

(ग) राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने नदी के जल की जांच की है और जांच से पता चला कि इससे लोगों के स्वास्थ्य तथा जलीय जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदी के जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है और उद्योगों द्वारा एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करवा रहा है।

चिल्का झील में झींगा-पालन परियोजना

233. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चिल्का झील में झींगा-पालन परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिल्का झील के प्राकृतिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने चिल्का झील में झींगा पालन परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए मैसर्स वाटर एंड पावर कनसलटेंसी सर्विसेस लिमिटेड को काम सौंपा है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे विशेषज्ञों के एक बहु-विषयी दल द्वारा एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करवाएं। यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) चिल्का झील को पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि के तौर पर नामोदिष्ट किया जा चुका है और यह नम भूमि और वन्यजीवों के संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल है। आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वास स्थलों के सुधार तथा चिल्का झील के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

Extinction of plants species

234. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 132 plant species face extinction and 24 plants are already extinct according to Botanical Survey of India; and

(b) if so, what measures Government propose to take to save the plant species from extinction?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) The Botanical Survey of India (BSI) has estimated that about 10% of total plant species in the country (about 1500) are at various levels of survival risk and 24 plant species are possibly extinct, as these species are largely known from their historical/type collection made several years ago and have also not been sighted during any recent botanical survey.

(b) Government have taken the following measures to save the plant species from extinction:

(i) The BSI is continuing its survey work and collection of data on rare, threatened and endemic species and efforts are being made for relocation and introduction of different species in the Botanic and Experimental Gardens and Orchidaria.

(ii) The BSI, which holds many rare species in its gardens, has also taken up tissue culture technique for mass multiplication and propagation.

(iii) Through Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & flora (CITES), efforts are being made to check/ban export of unlawful live collection of plants.

(iv) The Government have enacted legislation for forest and wildlife